समझौता ज्ञापन

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

के मध्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चन्दौली

और

सकलडीहा पी0जी0 कॉलेज, सकलडीहा, चन्दौली।

यह समझौता ज्ञापन दो संस्थानों प्रथम केन्द्र पुरोनिधानित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना योजना के अन्तर्गत स्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चन्दौली एवं द्वितीय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से संबद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदानित महाविद्यालय सकलडीहा पी0जी0 कॉलेज, सकलडीहा, चन्दौली के संयुक्त हस्ताक्षरित दिनांक ...29.../ ...05.../2023 से प्रभावी होगा। यह समझौता ज्ञापन दो संस्थानों के मध्य पूर्णतः वित्त रहित होगा।

(1) समझौता ज्ञापन का उद्देश्य

I. दोनों संस्थानो में शैक्षिक उन्नयन हेतु शिक्षक शिक्षा में हो रहे नवाचार का आदान प्रदान करना।

II. शिक्षकों में बहु–विषयक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु सकलडीहा पी0जी0 कॉलेज, सकलडीहा, चन्दौली एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चन्दौली के आपसी सहयोग स्थापित करना।

III. अध्यापक शिक्षा में व्यवहार परक शोध को बढ़ावा देने के लिए दोनों संस्थानों द्वारा शोध फोरम बना कर एक दूसरे का सहयोग करना।

IV. दोनों संस्थानों के छात्रो को वाचानालय के प्रयोग का अनुमति प्रदान करना।

V. शिक्षण पेशे की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए आवश्यक नैतिकता और विश्वसनीयता के स्तरों में सुधार के लिए प्रयास करना।

VI. चूकि, अध्यापक शिक्षा के लिए बहु विषयक/बहु–विषयक इनपुट के साथ ही साथ उच्चतर गुणवत्ता युक्त विषय वस्तु और शैक्षणिक प्रकियाओं की आवश्यकता होती है अतः इसे ध्यान में रखते हुए दोनों सन्दर्भदाता के रूप में सहयोगा प्रदान करना।

VII. चूकि डायट चन्दौली सेवारत पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक के शिक्षण उन्नयन हेतु कार्य करता है। इसके क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप सकलडीहा पी0जी0 कॉलेज, सकलडीहा, चन्दौली के शिक्षक शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय आवश्यकता अनुरूप सेवा पूर्व प्रशिक्षण में बदलाव का प्रयास करना।

(2) सहयोग का क्षेत्र

इस समझौता ज्ञापन में सहयोग का क्षेत्र गैर वित्तिय शिक्षक शिक्षा में नवाचार एवं शोध है। साथ ही इन नवाचार एवं शोध का व्यवहारिक प्रयोग होगा।

(3) सहयोग का माध्यम

- शिक्षा एवं प्रशिक्षण में आपसी हित के लिए सहयोग एवं संवर्धन के माध्यम द्वारा।
- अन्य कोई उपर्युक्त माध्यम जो शिक्षा एवं प्रशिक्षण में उपयोगी हो।
- दोनों संस्थानों के संसाधन के अनुरूप जो माध्यम उपलब्ध हो।

(4) नियम और शर्तें

यह समझौता ज्ञापन के द्वारा दोनों संस्थान सकलडीहा पी0जी0 कॉलेज, सकलडीहा, चन्दौली एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चन्दौली के मध्य पूर्णतः नॉन फाइनेंशियल(गैर वित्तीय) समझौता ज्ञापन होगा।

यह समझौता ज्ञापन के द्वारा दोनों संस्थान सकलडीहा पी0जी0 कॉलेज, सकलडीहा, चन्दौली एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चन्दौली के मध्य केवल शैक्षिक, नवाचार एवं शोध के लिए होगा।

(5) गोपनीयता

इस समझौता ज्ञापन के द्वारा दोनों संस्थान सकलडीहा पी0जी0 कॉलेज, सकलडीहा, चन्दौली एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चन्दौली तथ्यों, आकड़ो एवं सूचनाओं की गोपनियता स्थापित करने का प्रयास करेंगं।

(6) समझौता ज्ञापन के समयावधि

यह समझौता ज्ञापन दोनों संस्थानों के प्रार्चायों का हस्ताक्षर के तिथि से 2 वर्षो के लिए वैद्य होगा।

(7) बौद्धिक सम्पदा अधिकार

इस समझौता ज्ञापन के द्वारा मुख्य शोधकर्त्ता जिस संस्थान का होगा उस संस्थान के पास बौद्धिक सम्पदा अधिकार सुरक्षित होगा।

(8) दो प्रति में हस्ताक्षर

इस समझौता ज्ञापन के दो प्रतियों पर दोनों संस्थानों के प्रार्चायों का हस्ताक्षर होगा जिसे दोनों संस्थान एक–एक प्रति सुरक्षित रखेंगे।

(प्रो0 प्रदीप कुमार पाण्डेय)
प्राचार्य
सकलडीहा पी0जी0 कॉलेज
सकलडीहा, चन्दौली।

(डॉ0 माया सिंह)
उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
चन्दौली।